न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 53/2020

अपीलांट–
लाछी पुत्री प्रहलाद जाति जाट
निवासी कंवरली तहसील
पचपदरा जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –
1. रूपाराम पुत्र पन्नाराम
2. अमीयों पत्नी पन्नाराम
3. धन्नाराम पुत्र पन्नाराम
4. जसाराम पुत्र राजुराम
5. नारणाराम पुत्र राजुराम
6. चंपा पत्नी राजुराम
7. हीरा पुत्र जेठा
8. गंगाराम पुत्र जेठाराम
   जाति जाट निवासी कंवरली तहसील
   पचपदरा जिला बाड़मेर
9. सरपंच, ग्राम पंचायत कालेवा
10. उपतहसीलदार पाटोदी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 64 दिनांक 26.06.2019 जो उप तहसीलदार पाटोदी द्वारा अपीलांट व उत्तरदाता की संयुक्त खातेदारी की भूमि को विभाजित करने हेतु पारित किया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

उपस्थिति :–
1. श्री राणाराम गौड, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री मनीष परिहार, अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 07.02.2022

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट उप तहसीलदार पाटोदी के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 64 दिनांक 26.06.2019 के विरूद्ध पेश की गई है।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:05:11 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा कवरली के खेत खसरा नम्बर 29, 38, 39, 41 / 201, 58, 62, 215 / 20, 40, 41, 50, 42 व 59 कुल रकबा 387–08 बीघा के सहखातेदारान ने प्रार्थना पत्र उप तहसीलदार पाटोदी के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी कालेवा द्वारा की गई तथा हल्का पटवारी कालेवा द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि विभाजन पत्र में किसी काश्तकार का नाम हटाया नहीं गया है एवं न ही जोड़ा गया है। खसरावार रकबा व लगान की फलावट भी पूर्व खाता अनुसार सही है। प्रस्तावित विभाजन पत्र अनुसार ही मौके पर खातेदारों (पक्षकारों) का कब्जा काश्त है। वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2073–2076 के खाता संख्या 102, 112 में किसी न्यायालय का स्थगन सम्बन्धी इन्द्राज दर्ज नहीं है। इस पर उप तहसीलदार पाटोदी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 64 दिनांक 26.06.2019 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 13.10.2020 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट व रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार पाटोदी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी विधिक भूल की है। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपीलांट व अन्य समस्त खातेदारान के मध्य कब्जानुसार विभाजन प्रस्ताव दिया जिस पर अपीलांट ने अपनी सहमति देते हुए कब्जा काश्त अनुसार रेस्पोडेंट संख्या 1 को कागजात तैयार कराने हेतु अधिकृत किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने पटवारी हल्का से सम्पर्क कर विभाजन आवेदन तैयार कर अपीलांट व रेस्पोडेंट्स ने हस्ताक्षर अंगुष्ठ निशान कर दिये गए और अपीलांट को बताया गया कि मौके की पैमाईश निरीक्षक भू–अभिलेख की उपस्थिति में कर नक्शे में चिह्नित किया जावेगा। साथ ही अपीलांट को यह भी बताया गया कि

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:05:11 IST
Reason: SelfAttested

तहसील कार्यालय में सभी खातेदारों के हिस्से निश्चित करा दिये गये हैं, मौके पर विभाजन के सीमा चिह्न बाद में लगा दिये जावेंगे तथा अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स को बराबर हिस्सा दिया जावेगा जिससे आवागमन हेतु किसी प्रकार की अड़चने नहीं हों। अपीलांट को तरमीम गलत एवं कब्जा–काश्त अनुसार नहीं होने की जानकारी तब हुई जब रेस्पोडेंट्स येनकेन प्रकारेण अपीलांट को मौके पर बेदखल करने पर आमादा हुए। खसरा नम्बर 42 के सेढे पर मुख्य रोड विद्यमान चल रही है जिस पर रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 द्वारा षडयंत्र पूर्वक सम्पूर्ण भूमि अपने नाम कब्जा–काश्त दर्शाकर प्राप्त कर ली है जबकि इस स्थान पर अपीलांट वक्त सेटलमेण्ट से ही काबिज है। अधिवक्ता अपीलांट ने यह भी निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व तथ्यों एवं भौतिक कब्जे की स्थिति तथा खातेदारान की सहमति बाबत कोई पूछताछ नहीं की गई बल्कि यांत्रिक रूप से अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। जब रेस्पोडेंट्स अपीलांट को उसकी ढाणी से बेदखल करने की धमकियाँ देने लगे तब अपीलांट को अपने हिस्से का संशय होने पर हल्का पटवारी से सम्पर्क किया और तहसील कार्यालय से अपीलाधीन विभाजन की नकल मांगी, जो दिनांक 10.09.2020 को प्राप्त हुई तथा सम्यक् तत्परता के साथ यह अपील उसी दिन पेश की गई है, फिर भी सद्भाविक रूप से अज्ञानतावश हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु अलग से धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत है। अतः अपीलांट की यह अपील अन्दर मयाद शुमार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त कर विवादित आराजी का नये सिरे से विभाजन किये जाने का आदेश फरमावें।

5. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन खेत खसरा में सभी सहखातेदार आपसी सहमति से किये विभाजन अनुसार कब्जा–काश्त हैं तथा मौके पर पक्षकारान की पृथक–पृथक आवासीय ढ़ाणियां बनी हुई हैं। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सही आधारों पर प्रस्तुत की गई है तथा मौके पर पक्षकारान जिस प्रकार काबिज हैं उस अनुसार उनका विभाजन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में यदि अपीलांट की यह अपील स्वीकार करते हुए मौके पर अपीलाधीन खेत खसरों का सही रूप से विभाजन किया जाता है तो उसमें रेस्पोडेंट्स को कोई आपत्ति नहीं है।

6. हमने दोनों पक्षों के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा कवरली के खेत खसरा नम्बर 29, 38, 39, 41/201, 58, 62, 215/20, 40,

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:05:11 IST
Reason: SelfAttested

41, 50, 42 व 59 कुल रकबा 387–08 बीघा के सहखातेदारान ने प्रार्थना पत्र उप तहसीलदार पाटोदी के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी कालेवा द्वारा की गई तथा हल्का पटवारी कालेवा द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि विभाजन पत्र में किसी काश्तकार का नाम हटाया नहीं गया है एवं न ही जोड़ा गया है। खसरावार रकबा व लगान की फलावट भी पूर्व खाता अनुसार सही है। प्रस्तावित विभाजन पत्र अनुसार ही मौके पर खातेदारों (पक्षकारों) का कब्जा काश्त है। वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2073–2076 के खाता संख्या 102, 112 में किसी न्यायालय का स्थगन सम्बन्धी इन्द्राज दर्ज नहीं है। इस पर उप तहसीलदार पाटोदी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 64 दिनांक 26.06.2019 पारित किया गया। अपीलांट के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व तथ्यों एवं भौतिक कब्जे की स्थिति तथा खातेदारान की सहमति बाबत कोई पूछताछ नहीं की गई बल्कि यांत्रिक रूप से अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया जिससे मौका कब्जा एवं रेकर्ड की स्थिति में भिन्नता रह गई है। इस कारण मौके पर पक्षकारान के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है। रेस्पोडेंट्स द्वारा लिखित स्वीकारोक्ति प्रकट की गई है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सही आधारों पर प्रस्तुत की गई है तथा मौके पर पक्षकारान जिस प्रकार काबिज हैं उस अनुसार उनका विभाजन नहीं हुआ है, ऐसे में अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश अपास्त करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन कराया जाना उचित है। इस प्रकार उभय पक्ष द्वारा प्रकट तथ्यों एवं परिस्थितियों से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार पाटोदी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट उप तहसीलदार पाटोदी द्वारा पारित विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 64 दिनांक 26.06.2019 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण उप तहसीलदार पाटोदी को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम,

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:05:11 IST
Reason: SelfAttested

1955 में यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

8 निर्णय आज दिनांक 07.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:05:11 IST
Reason: SelfAttested